


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

किशन बनाम कमली (बेगम)

किशन मुकदमा 2019 पत्र 2353, 182 नं. 55 सन 2020

| दिनांक | हुयम या कार्यवाही या इतिहास उज | नथर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|----------|--|---|
| 12-11-20 | <p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जीव प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 24-12-20 पेश हो ।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> | |
| 24-12-20 | <p>कमली पेश हुए, अधिनियम द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/दोस्ताने रखने से पत्रावली दिनांक 11-2-21 को पेश हो ।</p> | |
| 01-02-21 | <p>वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिमट से तलब की गई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि हमारे दोनो पक्षकारानु के मध्य आपसी खाजनामा हो चुका है उक्त प्रकरण में मैं आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ । वाद पत्र को इसी स्ट्रेज पर ड्रॉप फरमाया जावे ।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया, न्यायहित में वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वाद पत्र में आपसी खाजनामा हो जाने से व प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद पत्र इसी स्ट्रेज पर ड्रॉप किया जाता है ।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दोखिल हो ।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीतवाड़ा</p> |  |